...यालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

...ठासीन अधिकारी :– मुकेश कुमार चौधरी, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली)

वाद संख्याः– 114 / प्रा0पत्र / 2019

1. रामचन्द्र आ0 श्री भंवरलाल जाति ब्राहम्ण निवासी चेंता तहसील हिण्डोली जिला–बून्दी (राज0)।

प्रार्थी

बनाम

1. भोलाशंकर आ0 श्री भंवरलाल जाति ब्राहम्ण निवासी मानसरोवर कॉलोनी उंदालियों की डूंगरी बून्दीं।
2. किशन आ0 श्री भंवरलाल जाति ब्राहम्ण निवासी चेंता तहसील हिण्डोली।
3. लाडबाई पत्नी श्री भंवरलाल जाति ब्राहम्ण निवासी चेंता तहसील हिण्डोली।
4. जगदीश आ0 श्री घांसी जाति ब्राहम्ण निवासी चेंता तहसील हिण्डोली।
5. ओमप्रकाश आ0 श्री घांसी जाति ब्राहम्ण निवासी चेंता तहसील हिण्डोली।
6. कैलाश आ0 श्री घांसी जाति ब्राहम्ण निवासी चेंता तहसील हिण्डोली।
7. रमेश आ0 श्री मोहन जाति ब्राहम्ण निवासी बडानयागांव तहसील हिण्डोली।
8. शिवप्रकाश आ0 श्री मोहन जाति ब्राहम्ण निवासी बडानयागांव तहसील हिण्डोली।
9. प्रेमबाई पुत्री श्री घांसी पत्नि श्री रामकिशन जाति ब्राहम्ण निवासी नारायणपुर तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
10. भूलीबाई पुत्री श्री घांसी पत्नि श्री फोजमल जाति ब्राहम्ण निवासी गरनारा तहसील एवं जिला बून्दी।
11. गोपाल आ0 श्री घांसी जाति ब्राहम्ण निवासी चेंता तहसील हिण्डोली जिला–बून्दी।
12. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार साहब हिण्डोली जिला–बून्दी (राज0)।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा :– 136 एल.आर.एक्ट

प्रार्थी अधिवक्ता – विजय माहेश्वरी

अप्रार्थी – 1 लगायत 3 स्वयं व पेरोकार सरकार

निर्णय दिनांक :– 26 / 02 / 2021

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)

निर्णय

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी के पिता श्री भंवरलाल जी थे। भंवरलाल जी के 3 पुत्र भोलाशंकर, किशन व प्रार्थी रामचन्द्र है। प्रार्थी की माता का नाम लाडबाई है। प्रार्थी के पिता श्री भंवरलाल के स्वामित्व व अधिपत्य की खाता संख्या 285 की कृषि भूमि खसरा संख्या 25 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, खसरा संख्या 27 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा व प्रार्थी के पिता के संयुक्त स्वामित्व व अधिपत्य की खाता संख्या 286 की कृषि भूमि खसरा संख्या 354 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, खसरा संख्या 355 रकबा 13 बिस्वा, खसरा संख्या 356 रकबा 7 बिस्वा,

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली (बून्दी)

रा संख्या 357 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, खसरा संख्या 358 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, खसरा संख्या 359 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, खसरा सख्या 360 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, खसरा संख्या 361 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, खसरा संख्या 362 रकबा 12 बिस्वा, खसरा संख्या 363 रकबा 8 बिस्वा, खसरा संख्या 364 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, खसरा संख्या 365 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, खसरा संख्या 366 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा, खसरा संख्या 367 रकबा 9 बिस्वा, खसरा संख्या 368 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा, खसरा संख्या 891 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, कुल किता 16 रकबा 21 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम चेता पटवार क्षेत्र चेता तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में विस्थित है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित भूमियों में प्रार्थी के पिता भंवरलाल की मृत्यु के पश्चात उक्त भूमियों में प्रार्थी के पिता भंवरलाल के स्थान पर राजस्व रिकार्ड में भोलाशंकर, किशन, छोटू पिसरान भंवरलाल, लाडबाई पत्नी श्री भंवरलाल जाति ब्राहम्ण के नाम दर्ज कर दी गई जबकि भंवरलाल के छोटू नाम का कोई पुत्र नही था। भंवरलाल के भोलाशंकर व किशन के अतिरिक्त तीसरा पुत्र प्रार्थी रामचन्द्र ही है। प्रार्थी रामचन्द्र के स्थान पर राजस्व अधिकारियों ने प्रार्थी के अपने पिता का सबसे छोटा पुत्र होने के कारण भूलवश प्रार्थी के नाम की जगह छोटू नाम अंकित कर दिया है जो कि एक लिपिकीय भूल है। मृतक भंवरलाल के छोटू नाम का कोई पुत्र नही था। प्रार्थी के राशन कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, नरेगा जाबकार्ड, बैक पासबुक आदि रामचन्द्र के नाम से ही बने हुये है। प्रार्थी अपने भाईयों में सबसे छोटा है, इस कारण उक्त भूमियों का रख रखाव व कृषि व्यवस्था का सम्पूर्ण कार्य प्रार्थी के दोनों बडे भाई ही करते है इस कारण प्रार्थी को राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत अंकित होने की कोई जानकारी नही हो सकी। प्रार्थी के हिस्से की उक्त भूमियों में प्रार्थी का नाम सहवन से छोटू दर्ज कर दिया गया है। छोटू नाम का कोई व्यक्ति प्रार्थी के पिता भंवरलाल का पुत्र नही है। उक्त छोटू का नाम उक्त भूमियों के खाते में अंकित होना लिपिकीय भूल है जिसे दुरूस्त किया जाकर छोटू के स्थान पर प्रार्थी का नाम रामचन्द्र अंकित किया जाना आवश्यक है। न्यायहित में वादविषयक भूमियों के राजस्व रिकार्ड में छोटू के स्थान पर इन्द्राज दुरूस्त किया जाकर प्रार्थी रामचन्द्र का नाम अंकित किया जाना आवश्यक है। खातेदार भंवरबाई पुत्री घासी का देहान्त हो चुका है। अप्रार्थी संख्या 7 व 8 श्रीमति भंवरीबाई के वारिसान है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 11 सहखातेदार होने के कारण उन्हे पक्षकार बनाया गया है। अब तक प्रार्थी को उक्त गलत इन्द्राज का ज्ञान न होने से प्रार्थी आवेदन पेश नही कर सका। प्रार्थी ने दिनांक 08.07.2019 को उक्त भूमियों की नकल निकलवाई तो प्रार्थी को उक्त गलत इन्द्राज की जानकारी पटवारी हल्का ने दी, इस कारण प्रार्थी जानकारी होते ही यह प्रार्थना पत्र पेश कर रहा है। उक्त प्रार्थना पत्र के श्रवणाधिकार न्यायालय श्रीमान को प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निश्चित न्याय शुल्क व तलबाने के साथ पेश है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम चेता में विस्थित खाता संख्या 285 की कृषि भूमि खसरा संख्या 25 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, खसरा संख्या 27 रकबा 1

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली (बून्दी)

17 बिस्वा, कुल किता 2 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा व खाता संख्या 286 की कृषि भूमि खसरा संख्या 354 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, खसरा संख्या 355 रकबा 13 बिस्वा, खसरा संख्या 356 रकबा 7 बिस्वा, खसरा संख्या 357 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, खसरा संख्या 358 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, खसरा संख्या 359 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, खसरा संख्या 360 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, खसरा संख्या 361 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, खसरा संख्या 362 रकबा 12 बिस्वा, खसरा संख्या 363 रकबा 8 बिस्वा, खसरा संख्या 364 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, खसरा संख्या 365 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, खसरा संख्या 366 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा, खसरा संख्या 367 रकबा 9 बिस्वा, खसरा संख्या 368 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा, खसरा संख्या 891 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा कुल किता 16 रकबा 21 बीघा 2 बिस्वा के राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में छोटू पिसरान भंवरलाल के स्थान पर प्रार्थी रामचन्द्र पिसरान भंवरलाल का नाम अंकित किये जाने आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी पैरोकार सरकार की ओर से जबाव पेश कर कथन किया कि संलग्न दस्तावेज अनुसार आधार कार्ड के आधार पर बैक पासबुक, राशन कार्ड से स्पष्ट है कि वादी का नाम रामचन्द्र था न्यायोचित आदेश फरमावें।

अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 की ओर से जवाब पेश कर कथन किया कि प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 लगायत 9 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 10 व 11 कानूनी है। प्रार्थना प्रार्थी स्वीकार है, प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 को प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में छोटू पिसरान भंवरलाल के स्थान पर रामचन्द्र पिसरान भंवरलाल संशोधन किये जाने में कोई आपत्ति नही है।

अप्रार्थी संख्या 4 लगायत 9 व 11 बावजूद तामिल व सूचना के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्व दिनांक 09.09.2019 को एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये। अप्रार्थी संख्या 10 दिनांक 18.11.2019 को न्यायालय में उपस्थित हुई, उसके उपरान्त कई अवसर दिये जाने पर भी जवाब पेश नही किया गया है। अतः अप्रार्थी संख्या 10 का जवाब बंद किया जाकर पत्रावली बहस में नियत की गई।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी का नाम छोटू दर्ज किया हुआ है। उक्त इन्द्राज गलत व अशुद्व है जबकि प्रार्थी समस्त दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम रामचन्द्र पि0 भंवरलाल दर्ज है। प्रार्थी का नाम गलत दर्ज होने से प्रार्थी ऋण प्राप्त करने व सरकारी योजनाओं का लाभ नही उठा पा रहा है। अतः प्रार्थी के राजस्व रिकोर्ड में दर्ज छोटू पिता भंवरलाल के अंकन को दुरूस्त कर उक्त के स्थान पर रामचन्द्र आ0 भंवरलाल ब्राह्मण दर्ज किया जावें।

वकील प्रार्थी द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली (बून्दी)

वजों आधार कार्ड नम्बर 2668 5560 9646 व मतदाता पहचान पत्र संख्या 1467117, Transfer Certificate Book No. 25 S.R. 72, बैक पासबुक, परिवार राशनकार्ड संख्या 200003844390 ग्राम पंचायत चेता, नरेगा जांबकार्ड 01517 ग्राम पंचायत चेता में प्रार्थी का नाम रामचन्द्र आ0 भंवरलाल दर्ज है, अतः मुताबिक दस्तावेज/प्रस्तुत जवाब (1 लगायत 3) के जमाबंदी में अंकित छोटू के अंकन को विलोपित कर प्रार्थी का सही नाम रामचन्द्र आ0 भंवरलाल कोम ब्राहम्ण दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर भूमि खाता संख्या 285 की कृषि भूमि खसरा संख्या 25 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, खसरा संख्या 27 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, कुल किता 2 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा व खाता संख्या 286 की कृषि भूमि खसरा संख्या 354 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, खसरा संख्या 355 रकबा 13 बिस्वा, खसरा संख्या 356 रकबा 7 बिस्वा, खसरा संख्या 357 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, खसरा संख्या 358 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, खसरा संख्या 359 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा, खसरा संख्या 360 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, खसरा संख्या 361 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, खसरा संख्या 362 रकबा 12 बिस्वा, खसरा संख्या 363 रकबा 8 बिस्वा, खसरा संख्या 364 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, खसरा संख्या 365 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, खसरा संख्या 366 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा, खसरा संख्या 367 रकबा 9 बिस्वा, खसरा संख्या 368 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा, खसरा संख्या 891 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा कुल किता 16 रकबा 21 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम चेता पटवार मंडल चेता में छोटू आ0 भंवरलाल के नाम के अंकन को विलोपित करने के आदेश दिये जाते है। न्यायालय में रामचन्द्र ने अपना नाम छोटू नही होने के संदर्भ में जो दस्तावेज प्रस्तुत किये है उनके आधार पर बाद जांच राजस्व रिकोर्ड में शुद्वि करने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की पालना हेतु नायब तहसीलदार दबलाना को तहरीर जारी की जावें। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(मुकेश कुमार चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली (हिण्डोली)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी